

18.8.2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरदोई, मीरजापुर, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, सम्भल, प्रतापगढ़, बाराबंकी, प्रयागराज,
अयोध्या, अलीगढ़, फतेहपुर एवं कौशाम्बी।

लखनऊ दिनांक: 18 अगस्त, 2020

राजस्व अनुभाग-10

विषय:- ओलावृष्टि/वर्षा से हुई फसल क्षति/जनघानि/पशु घानि आदि के सापेक्ष प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष अवशेष प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचक निधि के ओलावृष्टि मद-05 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन **धनराशि रू० 6737.43 लाख (रू० सरसठ करोड़ सैतीस लाख तैतालिस हजार मात्र) सम्बन्धित** जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख रू० में)
1	2	3
1	हरदोई	754.91
2	मीरजापुर	816.38
3	सुल्तानपुर	141.16
4	कानपुर देहात	10.00
5	सम्भल	1201.79
6	प्रतापगढ़	191.00
7	बाराबंकी	1049.70
8	प्रयागराज	411.11
9	अयोध्या	85.18
10	अलीगढ़	864.96
11	फतेहपुर	822.00
12	कौशाम्बी	389.24
कुल योग		6737.43
(रू० सरसठ करोड़ सैतीस लाख तैतालिस हजार मात्र)		

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रयोग के लिए किया जायेगा।

वित्त विभाग के शासनादेश सं० ए 1 803 /दरा 2013 10(28) /2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही युगमान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिरा मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि देवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार की के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिरामें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावित हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) उक्त आवंटित/स्वीकृत धनराशि के वितरण का स्थलीय सत्यापन भी करा लिया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(7) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(10) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

1)- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-05-ओलावृष्टि से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-525(1)/एक-10-2020-33(35)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ०प्र०।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

alcw
18/08/20

8.8.2020

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-25/08/2020

प्रेषण संख्या:- 525
आवंटन आदेश संख्या:- 139-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
05 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	86496000 86496000	86496000 86496000
2	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	82200000 82200000	82200000 82200000
3	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	41111000 41111000	41111000 41111000
4	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	81638000 649815000	81638000 649815000
5	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	75491000 75491000	75491000 75491000
6	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8518000 8518000	8518000 8518000
7	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14116000 14116000	14116000 14116000
8	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	19100000 19100000	19100000 19100000
9	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	104970000 104970000	104970000 104970000
10	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1000000 1000000	1000000 1000000
11	कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	38924000 38924000	38924000 38924000
12	सम्बल-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	120179000 120179000	120179000 120179000
	योग	वर्तमान प्रगामी	673743000 1241920000	673743000 1241920000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सरसठ करोड़ सैंतीस लाख तियालीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब चौबीस करोड़ उनीस लाख बीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त
उ०प्र० शासन